ANNEXURE – V

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमण्डल, भभुआ द्वारा दिनांक 01.11.2017 को अधौरा, भभुआ एवं चैनपुर प्रक्षेत्र अन्तर्गत कुल 120 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु 11 के0वी0 लाईन के लिए वन-भूमि अपयोजन प्रस्ताव का संयुक्त स्थल-निरीक्षणः-

आज दिनांक 01.11.2017 को अधौरा, भभुआ एवं चैनपुर प्रक्षेत्र अन्तर्गत कुल 120 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु 11 के0वी0 लाईन के लिए वन-भूमि अपयोजन प्रस्ताव के तहत् अधोहस्ताक्षरी एवं कार्यपालक अभियंता (परियोजना), विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, कैमूर द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:-

1. कुल तीन ग्रामों-अधौरा, चैनपुरा एवं बभनीकलाँ में पूर्व से बिजली के पोल एवं लाईन उपस्थित हैं।
2. प्रस्तावित विद्युतीकरण की 11 के0वी0 की लाईन existing forest roads के alignment के साथ होगी।
3. प्रस्तावित परियोजना में कार्यपालक अभियंता तथा उनके अधिनस्थों द्वारा स्थल पर बताया गया कि मुख्यतः वन-पथों के किनारे लगे पेड़ों को काटने-छाटने की आवश्यकता होगी परन्तु स्थल-निरीक्षण में यह बात सामने आई कि वन-पथों के मोड़ों पर कुछ वृक्षों को काटने की भी आवश्यकता होगी। कार्यपालक अभियंता द्वारा यह बताया गया कि वृक्षों को यथा संभव केवल छाँटा ही जाएगा।
4. प्रस्तावित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 11 के0वी0 लाईन में नंगे तार का प्रयोग होगा परन्तु अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यपालक अभियंता को बताया गया कि आश्रयणी क्षेत्र में covered wire/underground wire का प्रयोग करने का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार का इस संबंध में guideline है। उनके द्वारा बताया गया कि ऐसी स्थिति होने पर AB Cable line का प्रयोग किया जाएगा।
5. प्रस्तावित योजना का कार्य-क्षेत्र काफी लंबा है इसलिए प्रस्तावित योजना के आंशिक क्षेत्रों का ही निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा कर पाया गया। हालाँकि विभागीय अमीन, वनपाल एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के तरफ से कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा सम्पूर्ण विद्युतीकरण लाईन के alignment का निरीक्षण कर DGPS लिया गया।
6. संयुक्त निरीक्षण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यपालक अभियंता को कहा गया कि अवैध रूप से वन-भूमि में बसे लोगों को किसी भी प्रकार से इस परियोजना से नहीं जोड़ा जाएगा। उन्हें बताया गया कि उन अवैध रूप से बसे लोगों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

7. प्रस्तावित योजना में नंगे तार का प्रयोग होने से इस अति वन-अग्नि से प्रभावित आश्रयणी क्षेत्र हेतु एक अग्नि प्रतिरक्षण योजना को भी मुल प्रस्ताव में सम्मिलित करना अपरिहार्य होगा।

8. चूँकि प्रस्तावित योजना अन्तर्गत 11के0वी0 विद्युत लाईन कुछ स्थलों में वन्यप्राणियों का महत्वपूर्ण अधिवास भी है और तार की क्षति होने पर वन्यप्राणियों के electrocute होने की संभावना बनी रहेगी, जिसको रोकने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को वन-विभाग को आवश्यक संसाधन के रूप में rescue centre एवं अन्य संसाधन यथा- veterinary vehicle equipped with facility to give primary treatment and conveyance इत्यादि उपलब्ध करानी होगी।

9. प्रस्तावित योजना में वृहत मात्रा में पेड़ों को छाँटने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए, अधौरा एवं चैनपुर प्रक्षेत्र में अस्थायी डीपू की जरूरत होगी, इसके व्यय पर वहन की व्यवस्था भी प्रयोक्ता एजेन्सी (यहाँ SBPDCL) को करनी होगी।

10. प्रस्तावित योजना के बृहत्त स्वरुप को देखते हुए वन-विभाग द्वारा समय-समय (इस बृहत्त योजना के कार्यान्वयन में कुछ unforeseen elements भी विभिन्न चरणों में होंगे) पर guidelines जारी की जाएगी, जिसका अनुपालन करने की जिम्मेवारी पूर्णतः प्रयोक्ता एजेन्सी की होगी।

कार्यपालक अभियंता (परियोजना),
विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, कैमूर।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
कैमूर वन प्रमण्डल, भभुआ।